न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी–

मुरारी लाल शर्मा
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
48/2019/प्रा.पत्र/2019	01.08.2019	07.04.2022

मदनलाल गूर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक

...... प्रार्थी

बनाम

1–श्री राकेश कुमार जैन पुत्र श्री ताराचन्द जैन एफ.बी.ओ. मैसर्स कमल टी ट्रेडर्स महावीर मार्ग मालपुरा जिला टोंक निवासी वार्ड नं. 9 महावीर मार्ग मालपुरा जिला टोंक
2–मैसर्स कमल टी ट्रेडर्स महावीर मार्ग मालपुरा जिला टोंक

...... अप्रार्थी

जुर्म अन्तर्गत खाध सुरक्षा एंव मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) एवं दण्डनीय धारा –52

उपस्थित–

1–प्रार्थी की ओर से श्री मदनलाल गूर्जर, खा0सु0अ0 स्वयं।
2–अप्रार्थी उपस्थित

:–निर्णय–: **दिनांक 07.04.2022**

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 24.04.2019 को समय 03:53 पी.एम पर वास्ते निरीक्षण मैसर्स कमल टी ट्रेडर्स महावीर मार्ग मालपुरा जिला टोंक पर पहुंचा। वहाँ श्री राकेश कुमार जैन पुत्र श्री ताराचन्द जैन निवासी वार्ड नं. 9 महावीर मार्ग मालपुरा जिला टोंक खाद्य पदार्थ का कारोबार करते हुए उपस्थित मिला को अपना परिचय दिया एवं परिचय पत्र दिखाया तथा उसका परिचय लिया पूछने पर स्वयं को प्रतिष्ठान का मालिक होना स्वीकार किया एवं मौके पर खाद्य अनुज्ञा पत्र होना जाहिर किया।

आवेदक द्वारा निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय हेतु दुकान मे बिस्किट, कन्फैक्शनरी, नमकीन आदि अन्य खाद्य पदार्थ के साथ **नमकीन झालानी ब्राण्ड (Namkeen Jhalani Brand)** रखा हुआ था, जिसके बैच नम्बर अनुपस्थित व पैकिंग दिनांक अनुपस्थित थी, दुकान की रैक में रखा हुआ था, **नमकीन झालानी ब्राण्ड (Namkeen Jhalani Brand)** 400–400 ग्राम के 18 नग दुकान में प्लास्टिक के एक कट्टे में वास्ते आम जनता को विक्रय हेतु रखे हुए थे, जिसे खाद्य सुरक्षा एंव मानक अधिनियम 2006 के तहत देखने व निरीक्षण करने पर मानक स्तर का न होना पाया गया। श्री राकेश कुमार को गवाह के सामने फार्म नं. 5ए में वास्ते नमूना क्रय करने हेतु नोटिस देकर नोटिस की रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता राकेश कुमार जैन एवं गवाह के हस्ताक्षर करवाकर प्रार्थी ने हस्ताक्षर कर तस्दीक किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2022.05.16 16:44:25 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

आवेदक द्वारा दुकान मे एक प्लास्टिक के कट्टे में से 400–400 ग्राम के ज्यों के त्यों साफ प्रिन्टेड नमकीन के पेकेट का चयन कर वास्ते नमूना जांच खरीदा जिसकी बाजार भाव के समान कीमत विक्रेता. श्री राकेश कुमार जैन को रू0 128/–अक्षरे एक सौ अट्ठाईस रूपये नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर तथा उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर किये।

आवेदक द्वारा खरीदशुदा **नमकीन झालानी ब्राण्ड (Namkeen Jhalani Brand)** 4 मूल पेक 400–400 ग्राम को अलग–अलग नियमानुसार चार नमूना भाग तैयार कर एंव चारो नमूना भागो के लिये चार लेबल नियमानुसार तैयार कर प्रत्येक भाग पर गोंद से चिपकाया और प्रत्येक लेबलो पर डी.ओ.कोड एवं क्रमांक I–2182 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं के हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता के तथा गवाह के हस्ताक्षर करवाये गये।

चारो नमूना भागो को अलग–अलग खांकी कागज में लपेटकर प्रत्येक भाग पर डी. ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. I–2182 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई से गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता. राकेश कुमार जैन के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवे। चारो नमूना भागो को अपने जाप्ते में लिया व मोका फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नं0 6 की 6 प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग फार्म नं0 6 की प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक एंव जन विश्लेषक अजमेर को दिनांक 25–6–2019 को जमा कराकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./19/1381 दिनांक 17–6–2019 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक एंव जन विश्लेषक अजमेर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं0 एल0एस0/1133/एक्ट/2019/553 दिनांक 16–6–2019 के अनुसार राकेश कुमार जैन से वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया **नमकीन झालानी ब्राण्ड (Namkeen Jhalani Brand)** खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 के अनुसार **मिथ्याछाप** (Mis-branded) ———— स्तर का होना पाया गया।

अतः प्रकरण में अप्रार्थीगण **द्वारा मिथ्याछाप** (Mis-branded) ———— ———— स्तर की नमकीन का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जिस[illegible] खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 व 5[illegible] निर्[illegible] है।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा किसी प्रकार का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया तथा अपना जुर्म स्वीकार किया। प्रार्थी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी जिस **नमकीन झालानी ब्राण्ड (Namkeen Jhalani Brand)**का विक्रय कर रहा था वह जांच में **मिथ्याछाप** (Mis-branded) स्तर का होना पाया गया है,इसलिए अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी के पास से लिया गया **नमकीन झालानी ब्राण्ड (Namkeen Jhalani Brand)**का नमूना जांच में मिथ्याछाप (Mis-branded) स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरूद्व प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरूद्व प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी श्री राकेश कुमार जैन पुत्र श्री ताराचन्द जैन एफ.बी.ओ. मैसर्स कमल टी ट्रेडर्स महावीर मार्ग मालपुरा जिला–टोंक पर शास्ति 15,000 (अक्षरे पन्द्राह हजार रू0) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये डीडी न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 07.04.2022 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 07.04..2022 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

(मुरारी लाल शर्मा)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक–राज0

Signature Not Verified

Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2022.05.16 16:44:25 IST
Reason: SelfAttested